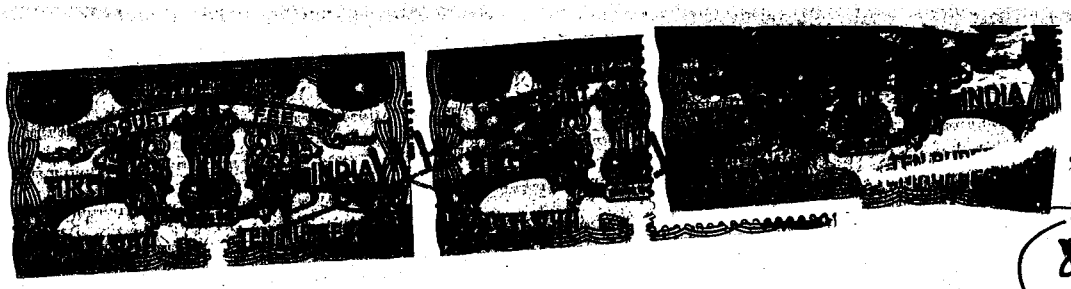

(81)

न्यायालय-माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक /२०१७ निगरानी R 687-I-17

१) गोविंदप्रसाद पुत्र रामअवस्यार, आयु ३० वर्ष
२) रविन्द्रप्रसाद पुत्र प्रभुदयाल, आयु ३६ वर्ष
३) रामनरेश पुत्र रामअवस्यार, आयु ३५ वर्ष
४) नीरज पुत्र प्रभुदयाल, आयु ३६ वर्ष
५) रामअवस्यार पुत्र कलुआ आयु ३५ वर्ष
६) बालकृष्ण पुत्र प्रेमनारायण ब्राह्मण, आयु ३० वर्ष
समस्त १ लगायत ६ निवासीगण ग्राम मानपुर
मजरा जैनी जिला श्योपुर (म०प्र०)।

-प्रार्थी / निगरानीकर्तागण

श्री मयंक कुमार शर्मा अधि० द्वारा आज दि० 20-2-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 20-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
20/2/2017

बनाम

म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर
(म०प्र०) - रिस्पोंडेन्ट / प्रत्यर्थी

आवेदन आधीन धारा ५० म०प्र० भू० रा० संहिता, विरुद्ध आदेश अपर कमिश्नर महोदय संभाग मुरैना म०प्र०, प्रकरण क्रमांक ७०/२०१६ अपील व उनवान गोविन्द प्रसाद आदि बनाम म०प्र० शासन आदेश दिनांक २६/१२/२०१६

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण / निगरानीकर्ता की ओर से आवेदनपत्र निम्नांकित प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

१) यह कि, अधीनस्थ न्यायालय श्री कलेक्टर श्योपुर म०प्र० प्रकरण क्रमांक ४२/२००६-०७/ निगरानी व उनवान म०प्र० शासन बनाम कन्हैया आदि के नाम से प्रार्थीगण को आवंटित पट्टे दिनांक १५/६/२०१६ को निरस्त कर दिये ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 687–एक/2017 जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–4–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्र0 कं0 70/2016–17/अपील में पारित आदेश दिनांक 29–12–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि कलेक्टर द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जिसपर आवेदकगण द्वारा किसी प्रकार जबाव प्रस्तुत नहीं किया और न ही उपस्थित हुये। कलेक्टर द्वारा आवेदकगण को युक्तियुक्त अवसर देने के उपरांत उन्हें प्रदाय किये गये पट्टों को निरस्त कर भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त द्वारा विस्तार से विवेचना कर निष्कर्ष निकाले हैं जिसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	